



2026:AHC:127674

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1370 वर्ष 2024

श्रीमती रीनू एवं 2 अन्य

...पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षीगण(गण)

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार अग्रहरि

विपक्षीगण के अधिवक्ता : अम्बलेश्वरी पांडेय, अनुज श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

निर्णय सुरक्षित: 21.04.2026

निर्णय सुनाया गया: 17.06.2026

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार अग्रहरि, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बलेश्वरी पांडेय के स्थान पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री जावेरिया काज़मी एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्तागण अर्थात श्रीमती रीनू एवं उनके दो अवयस्क बच्चों कान्हा सिंह एवं वंश चौधरी द्वारा, थाना- जहांगीराबाद, जिला- बुलंदशहर के धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों में विद्वान परिवार न्यायालय, बुलंदशहर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.12.2023 को चुनौती देते हुए योजित किया गया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान परिवार न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1, पत्नी के भरण-पोषण के दावे को निरस्त कर दिया है तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 एवं 3, अवयस्क बच्चों को याचिका संस्थित करने की तिथि से केवल ₹3,000/- प्रति माह प्रत्येक की दर से भरण-पोषण प्रदान किया है।

3. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय गंभीर अवैधता और विकृति से ग्रस्त है। उनके अनुसार, विद्वान परिवार न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के मूल उद्देश्य के विपरीत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाहियों का निस्तारण वस्तुतः इस प्रकार किया है मानो यह क्रूरता और व्यभिचार पर पूर्ण रूप से वैवाहिक विचारण हो, जबकि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियां संक्षिप्त प्रकृति की हैं और इनका उद्देश्य बेसहारापन को रोकना तथा उपेक्षित आश्रितों के लिए बुनियादी वित्तीय सुरक्षा और जीविकोपार्जन सुनिश्चित करना है।

4. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने स्वयं यह दर्ज किया है कि विपक्षी संख्या 2 ने नवंबर 2020 के बाद पत्नी और बच्चों को कोई भरण-पोषण नहीं दिया है, फिर भी उसने त्रुटिपूर्ण रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि पत्नी उपेक्षित नहीं थी और उसके पास पृथक निवास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। यह भी जोर दिया जाता है कि अवयस्क बच्चों को प्रदान किया गया भरण-पोषण पूरी तरह से अपर्याप्त, अवास्तविक और **रजनीश बनाम नेहा, (2021) 2 एससीसी 324** में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

5. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुशीलन पर तथ्य के निष्कर्ष दर्ज किए हैं और पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 के कथित दूसरे विवाह या क्रूरता, दहेज की मांग या मारपीट के किसी विशिष्ट दृष्टांत को सिद्ध करने में विफल रही, जो पृथक निवास के लिए पर्याप्त कारण प्रदान कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि परिवार न्यायालय ने सही रूप से संज्ञान लिया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोप अप्रमाणित रहे और इसलिए, उस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 भरण-पोषण का दावा करने के लिए विधिक रूप से टिकाऊ आधार स्थापित करने में विफल रही।

7. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विपक्षी संख्या 2 ने भारतीय सेना में अपनी सेवा के दौरान अपने वेतन से कटौती के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 और बच्चों को भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित किया था और वह वर्तमान में एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है जो मुख्य रूप से पेंशन पर जीवित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राशि विपक्षी संख्या 2 की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित है और इसमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. स्वीकृत तथ्य यह हैं कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 का विवाह विपक्षी पंकज कुमार के साथ दिनांक 08.02.2007 को हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि उक्त वैवाहिक संबंध से पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 कान्हा सिंह और पुनरीक्षणकर्ता संख्या 3 वंश चौधरी का जन्म हुआ। दोनों बच्चों के पितृत्व पर विपक्षी द्वारा कभी कोई विवाद नहीं किया गया है। यह भी स्वीकृत है कि पत्नी और बच्चे विपक्षी से पृथक् रह रहे हैं और विपक्षी एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है जो पेंशन प्राप्त कर रहा है।

10. परिवार न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मामला यह था कि विवाह के पश्चात विपक्षी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसका उत्पीड़न किया गया, ताने दिए गए और क्रूरता की गई। यह आरोप लगाया गया था कि विपक्षी ने उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखना बंद कर दिया और बाद में उसे सूचित किया कि उसने प्रगति यादव नामक एक अन्य महिला से विवाह कर लिया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि दिनांक 10.01.2020 को उसके साथ मारपीट की गई और बच्चों सहित उसे वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया और तब से वह अपने मायके में रह रही है। उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिवचन किया कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह अपने माता-पिता पर निर्भर है, जबकि विपक्षी एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है जो पेंशन प्राप्त कर रहा है और उसके पास आय के अन्य स्रोत हैं।

11. विपक्षी ने अपने लिखित कथन में विवाह और दोनों बच्चों के जन्म को स्वीकार किया। हालांकि, उसका बचाव यह था कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 ने बिना किसी पर्याप्त कारण के वैवाहिक गृह छोड़ दिया था और वह कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध बनाए हुए थी। उसने यह भी अभिवचन किया कि उसने पूर्व में विवाह-विच्छेद की याचिका दाखिल की थी और विवाह भंग हो गया था। उसने आगे कथन किया कि सेना में अपनी सेवा के दौरान उसके वेतन से ₹11,303/- प्रति माह की राशि काटी जा रही थी और दिनांक 30.11.2020 को उसकी सेवानिवृत्ति तक पत्नी और बच्चों को भुगतान की जा रही थी। उसने दावा किया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उसे लगभग ₹21,025/- प्रति माह की पेंशन प्राप्त होती है और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

12. विद्वान परिवार न्यायालय ने निर्धारण हेतु बिंदु निर्मित किए, जिनमें यह शामिल था कि क्या पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 विधिपूर्वक विवाहित पत्नी थी, क्या वह बिना किसी पर्याप्त कारण के पृथक निवास कर रही थी, क्या विपक्षी ने पुनरीक्षणकर्तागण का भरण-पोषण करने में उपेक्षा की थी, क्या पत्नी की कोई स्वतंत्र आय थी, क्या विपक्षी के पास पर्याप्त साधन थे, और पक्षकार किस अनुतोष के हकदार थे।

13. बिंदु संख्या 1 पर, विद्वान परिवार न्यायालय ने सही रूप से माना है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 विपक्षी की विधिपूर्वक विवाहित पत्नी है और पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 व 3 उनके वैध अवयस्क बच्चे हैं। न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि यद्यपि विपक्षी ने विवाह-विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री पर भरोसा किया था, किंतु उसे बाद में अलीगढ़ स्थित परिवार न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उक्त निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. आक्षेपित निर्णय में मुख्य त्रुटि बिंदु संख्या 2 और 3 का निर्धारण करते समय उत्पन्न होती है। विद्वान परिवार न्यायालय ने पत्नी के मामले पर इस आधार पर अविश्वास व्यक्त किया कि वह दहेज की मांग, मारपीट या दूसरे विवाह के विशिष्ट दृष्टांतों को सिद्ध नहीं कर सकी। न्यायालय ने आगे प्रेक्षित किया कि दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोप अप्रमाणित थे और पत्नी क्रूरता सिद्ध करने में विफल रही थी। इस आधार पर, इसने निष्कर्ष निकाला कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के पृथक निवास कर रही थी और इसलिए भरण-पोषण की हकदार नहीं थी।

15. यह तर्कसंगतता अमान्य है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों में, न्यायालय से क्रूरता के ऐसे कठोर प्रमाण पर जोर देने की अपेक्षा नहीं की जाती है जैसा कि आपराधिक अभियोजन में या किसी विवादित वैवाहिक मामले में आवश्यक होगा। जांच का दायरा सीमित है। न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या पत्नी के पास पृथक रहने का कोई उचित आधार है और क्या पति ने, साधन होते हुए भी, उसका भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है या इंकार किया है। मानक उचित संदेह से परे प्रमाण का नहीं है। न ही न्यायालय धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों को वैवाहिक दुराचार से संबंधित प्रत्येक आरोप और प्रत्यारोप के विचारण में परिवर्तित कर सकता है।

16. अभिलेख पर मौजूद सामग्री ने स्पष्ट रूप से पक्षकारों के बीच गंभीर वैवाहिक मनमुटाव दर्शाया। विपक्षी ने स्वीकार्य रूप से पत्नी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की याचिका दाखिल की थी। उसने स्वीकार्य रूप से एकपक्षीय विवाह-विच्छेद डिक्री भी प्राप्त की थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। पत्नी और बच्चे स्वीकार्य रूप से पृथक रह रहे थे। विपक्षी ने स्वयं जिरह में स्वीकार किया कि नवंबर 2020 के बाद उसने पत्नी और बच्चों को कोई भरण-पोषण नहीं दिया था। ये तथ्य, एक साथ मिलकर, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त थे कि पत्नी बिना कारण पृथक नहीं रह रही थी।

17. विद्वान परिवार न्यायालय ने विपक्षी के सैन्य वेतन से भरण-पोषण की पूर्व कटौती को पत्नी के विरुद्ध एक परिस्थिति मानने में भी त्रुटि की है। इसके विपरीत, उक्त तथ्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनरीक्षणकर्तागण के मामले का समर्थन करता है। यदि विपक्षी की सैन्य सेवा के दौरान उसके वेतन से भरण-पोषण की कटौती की जा रही थी और पत्नी व बच्चों को भुगतान किया जा रहा था, तो यह दर्शाता है कि पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण की आवश्यकता थी तथा उनके जीविकोपार्जन के लिए पहले ही एक व्यवस्था की गई थी। एक बार जब विपक्षी सेवानिवृत्त हो गया और उक्त कटौती बंद हो गई, तो उसका दायित्व समाप्त नहीं हुआ। अपनी पत्नी और अवयस्क बच्चों का भरण-पोषण करने का उसका दायित्व बना रहा।

18. परिवार न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपेक्षा का निष्कर्ष पति के आचरण से निकाला जा सकता है। विपक्षी ने स्वीकार किया कि नवंबर 2020 के बाद उसने पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया। ऐसा प्रवेश, अपने आप में, यह धारण करने के लिए पर्याप्त था कि विपक्षी ने पुनरीक्षणकर्तागण का भरण-पोषण करने में उपेक्षा की थी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने यह धारण करने में स्पष्ट त्रुटि की है कि कोई उपेक्षा नहीं हुई थी।

19. यह निष्कर्ष कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 पर्याप्त कारण के बिना पृथक निवास कर रही थी, साक्ष्य के भी विपरीत है। जहां पति ने विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियां शुरू की हों, जहां पक्षकार स्वीकार्य रूप से गंभीर वैवाहिक मनमुटाव के कारण पृथक रह रहे हों, और जहां पत्नी के पास दो अवयस्क बच्चों का संरक्षण हो, वहां यह सरसरी तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही है। परिवार न्यायालय ने पत्नी पर अत्यधिक भार डाला है और धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के कल्याणकारी उद्देश्य को लागू करने में विफल रहा है।

20. विपक्षी संख्या 2 द्वारा पत्नी पर लगाए गए व्यभिचार के आरोप भी सिद्ध नहीं हुए। यह स्थापित करने के लिए कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी, कोई स्वतंत्र साक्षी, दस्तावेज या विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। धारा 125(4) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रोक केवल तब आकर्षित होती है जब पत्नी का व्यभिचार में रहना सिद्ध हो जाए। केवल आरोप, संदेह या चरित्र हनन पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकते। परिवार न्यायालय ने स्वयं पाया कि विपक्षी संख्या 2 अवैध संबंध के आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा था। ऐसा निष्कर्ष दर्ज करने के पश्चात, न्यायालय भरण-पोषण से इंकार करने के लिए पत्नी के विरुद्ध वैवाहिक आरोपों का उपयोग नहीं कर सकता था।

21. इसी प्रकार, विपक्षी के कथित दूसरे विवाह के संबंध में पत्नी का आरोप भले ही कठोर अर्थ में सिद्ध न हुआ हो, किंतु उस आरोप को सिद्ध करने में विफलता स्वतः इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जा सकती थी कि उसके पास पृथक निवास करने का कोई कारण नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने एक आरोप के सिद्ध न होने को पत्नी के संपूर्ण मामले को नष्ट करने वाला मानकर गलती की है।

22. पत्नी की आय के प्रश्न पर भी परिवार न्यायालय के निष्कर्ष स्व-विरोधी हैं। विपक्षी संख्या 2 ने आरोप लगाया कि पत्नी अपना भरण-पोषण करने में सक्षम थी और कृषि व डेयरी व्यवसाय में अपने पिता की सहायता कर रही थी। हालांकि, इस बचाव के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं पेश किया गया। पत्नी के पिता की आय को, यदि मान भी लिया जाए, पत्नी की आय नहीं माना जा सकता। किसी पत्नी को केवल इसलिए भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके माता-पिता संकट के समय उसका सहयोग कर रहे हैं। माता-पिता द्वारा भरण-पोषण पति के विधिक दायित्व का विकल्प नहीं है।

23. परिवार न्यायालय ने बिंदु संख्या 4 का निस्तारण करते समय स्वयं प्रेक्षित किया कि यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 के पास बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन थे। एक बार जब न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया कि पत्नी की पर्याप्त स्वतंत्र आय का कोई साक्ष्य नहीं था, तो उसे भरण-पोषण से इंकार करने का कोई औचित्य नहीं था।

24. विपक्षी की वित्तीय स्थिति का भी सही मूल्यांकन नहीं किया गया। विपक्षी ने स्वीकार किया कि वह एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है और पेंशन प्राप्त करता है। परिवार न्यायालय ने उसकी पेंशन लगभग ₹21,025/- प्रति माह दर्ज की। पत्नी ने अभिवचन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया था कि उसके पास कृषि और डेयरी से भी आय थी। भले ही अतिरिक्त आय पूर्ण रूप से सिद्ध न हुई हो, स्वीकृत पेंशन ने यह स्थापित कर दिया कि विपक्षी के पास नियमित साधन थे। इसके अतिरिक्त, वह दो अवयस्क बच्चों का पिता और पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 का पति है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके दायित्व को केवल यह कहकर विफल नहीं किया जा सकता कि उसकी पेंशन सीमित है या उसे अपनी मां का भरण-पोषण करना है।

25. उच्चतम न्यायालय ने *रजनीश (उपरोक्त)* में धारण किया है कि भरण-पोषण का निर्धारण पक्षकारों की स्थिति, पत्नी और बच्चों की उचित आवश्यकताओं, पति की आय, पक्षकारों के दायित्वों और बेसहारापन को रोकने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक तरीके से किया जाना चाहिए। भरण-पोषण केवल प्रतीकात्मक नहीं हो सकता। प्रदान की गई राशि ऐसी होनी चाहिए जो दावेदार को गरिमा के साथ जीने की अनुमति दे।

26. वर्तमान मामले में, अवयस्क बच्चों को ₹3,000/- प्रति माह प्रत्येक का पंचाट स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हैं। उनके खर्चों में भोजन, कपड़े, शिक्षा, पुस्तकें, परिवहन, चिकित्सा आवश्यकताएं और अन्य दैनिक आवश्यकताएं शामिल होंगी। प्रति बच्चा ₹3,000/- प्रति माह की राशि स्कूल जाने वाले बच्चों के न्यूनतम उचित खर्च को भी पूरा नहीं करती है। विद्वान परिवार न्यायालय बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करने में विफल रहा और उसने ऐसी राशि प्रदान की जो अत्यंत कम और अवास्तविक है।

27. यह भी महत्वपूर्ण है कि भरण-पोषण याचिका दाखिल करने की तिथि, अर्थात् 02.02.2021 से प्रदान किया गया था। कार्यवाहियां लंबित रहीं और निर्णय 14.12.2023 को सुनाया गया। केवल कार्यवाहियों के निस्तारण में लगे समय के कारण पत्नी और बच्चों को पीड़ित नहीं किया जा सकता। आवेदन की तिथि से भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश *रजनीश (उपरोक्त)* में प्रतिपादित विधि के अनुरूप है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28. अभिलेख पर मौजूद सामग्री के समग्र विचार-विमर्श पर, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित निर्णय कई त्रुटियों से ग्रस्त है। प्रथमतः, परिवार न्यायालय ने पृथक निवास करने के पत्नी के कारणों पर विचार करते समय त्रुटिपूर्ण रूप से प्रमाण के कठोर मानक को लागू किया। द्वितीयतः, न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि गंभीर वैवाहिक मनमुटाव, विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियां, पृथक निवास और नवंबर 2020 के बाद भरण-पोषण का गैर-भुगतान न्यायसंगत पृथक निवास और उपेक्षा स्थापित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां थीं।

29. तृतीयतः, न्यायालय ने स्वतंत्र आय का कोई प्रमाण न होने के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण से वंचित करने में त्रुटि की। चतुर्थतः, न्यायालय ने पूर्व सैन्य कटौती को उपेक्षा के विरुद्ध प्रमाण मानकर गलती की, जबकि वास्तव में इसने यह दर्शाया कि पत्नी और बच्चे भरण-पोषण पर निर्भर थे। पंचमतः, अवयस्क बच्चों को प्रदान किया गया भरण-पोषण पूरी तरह से अपर्याप्त है और धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के प्रतिकूल है।

30. पूर्वोक्त कारणों से, विद्वान परिवार न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 पर्याप्त कारण के बिना पृथक निवास कर रही है, निरस्त किया जाता है। यह निष्कर्ष भी कि विपक्षी ने पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 का भरण-पोषण करने में उपेक्षा नहीं की है, निरस्त किया जाता है। यह धारण किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 विपक्षी से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है।

31. अब जो प्रश्न उठता है वह भरण-पोषण की न्यायसंगत और उचित राशि के निर्धारण के संबंध में है।

32. विद्वान परिवार न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि विपक्षी को लगभग ₹21,025/- प्रति माह की पेंशन प्राप्त हो रही है और, कृषि व डेयरी आय के संबंध में कठोर प्रमाण के अभाव में, पेंशन राशि को विपक्षी की एकमात्र स्थापित आय माना है। हालांकि, इस संबंध में विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अपूर्ण है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पूरी तरह मेल नहीं खाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



33. पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 ने लगातार यह अभिवचन किया कि सैन्य पेंशन के अलावा, विपक्षी के पास कृषि आय और डेयरी गतिविधियों से आय है। अपने साक्ष्य में, उसने विशेष रूप से कथन किया कि जिस अवधि में वह वैवाहिक गृह में रहती थी, उस समय घर में चार भैंसें रखी जाती थीं और डेयरी का काम किया जाता था। यद्यपि उसने कथन किया कि डेयरी के काम की देखभाल विपक्षी की मां और भाई करते थे, परिवार से जुड़ी कृषि और डेयरी गतिविधियों की उपस्थिति साक्ष्य से ही परिलक्षित होती थी।

34. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि और डेयरी आय से विशेष रूप से इंकार करने के बावजूद, विपक्षी ने परिवार की कृषि जोत, पेंशन के अलावा आजीविका के स्रोत, या उसे उपलब्ध अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया। यह स्थापित करने के लिए कि उसके या उसके परिवार के पास कृषि भूमि या आय के सहायक स्रोत नहीं थे, उसके द्वारा कोई राजस्व अभिलेख या अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जहां केवल पति के पास ही अपने वित्तीय मामलों के संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, तात्त्विक विवरणों को छिपाने पर वैध रूप से प्रतिकूल उपधारणा (adverse inference) निकाली जा सकती है।

35. यह भी प्रासंगिक है कि विपक्षी एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है। यद्यपि चिंता और अवसादग्रस्तता विकार से संबंधित चिकित्सा पत्र दाखिल किए गए थे, फिर भी किसी भी पूरक लाभदायक गतिविधि में संलग्न होने की पूर्ण असमर्थता या अयोग्यता स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई थी। विधि भली-भांति सुस्थापित है कि एक सक्षम पति अपनी आय को कम करके या दबाकर अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के अपने वैधानिक दायित्व से नहीं बच सकता है।

36. इस प्रक्रम पर, भरण-पोषण के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। **डॉ. कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी, (1970) 3 एससीसी 129** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि भरण-पोषण का प्रदान किया जाना पति की आय और वित्तीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तत्पश्चात,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी उर्फ नंदी, (2017) 14 एससीसी 200 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, डॉ. कुलभूषण कुमार (उपरोक्त) में पूर्व के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रेक्षित किया कि सामान्यतः पति के शुद्ध वेतन का 25% पत्नी को देय भरण-पोषण का निर्धारण करने के लिए एक न्यायसंगत और उचित मानक हो सकता है।

37. हालांकि, पूर्वोक्त सिद्धांत कोई कठोर गणितीय सूत्र नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, जिसमें आश्रितों की संख्या, अवयस्क बच्चों की उचित आवश्यकताएं, पति के दायित्व और समग्र उपस्थित परिस्थितियां शामिल हैं। अवयस्क बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी शैक्षिक और जीवन-यापन की आवश्यकताओं के अनुरूप भरण-पोषण के हकदार हैं।

38. वर्तमान मामले में, यद्यपि कृषि और डेयरी आय से संबंधित आरोप लगाए गए हैं, फिर भी यह निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लाया गया है कि विपक्षी लगभग ₹50,000/- प्रति माह कमा रहा है, जैसा कि पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही, अभिलेख पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि विपक्षी को लगभग ₹21,000/- प्रति माह की नियमित पेंशन प्राप्त होती है और उसके पास सहायक परिवार-आधारित कृषि और डेयरी सहायता संरचनाएं भी हैं, यद्यपि उसकी सटीक मौद्रिक सीमा निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुई है।

39. इसलिए, जहां आय के काल्पनिक आकलन पर भरण-पोषण निश्चित नहीं किया जा सकता, वहीं न्यायालय वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में दो स्कूल जाने वाले बच्चों सहित तीन आश्रितों के जीवन-यापन की व्यावहारिक वास्तविकताओं की उपेक्षा भी नहीं कर सकता है।

40. (i) लगभग ₹21,000/- प्रति माह की स्वीकृत पेंशन आय; (ii) यह तथ्य कि विपक्षी एक सक्षम सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है; (iii) पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 की किसी स्वतंत्र आय के प्रमाण का अभाव; (iv) दो स्कूल जाने वाले अवयस्क बच्चों का भरण-पोषण करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपक्षी का दायित्व; (v) शिक्षा, भोजन, कपड़े, परिवहन और चिकित्सा खर्चों की बढ़ती लागत; और (vi) रजनीश (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1-पत्नी को ₹5,000/- प्रति माह तथा पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 व 3 को ₹4,000/- प्रति माह प्रत्येक का भरण-पोषण प्रदान करने से न्याय के उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरे होंगे।

41. ₹13,000/- प्रति माह का कुल भरण-पोषण, वर्तमान मामले के तथ्यों में, विपक्षी की वित्तीय क्षमता और पुनरीक्षणकर्तागण की वैध आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाता है। इसे अत्यधिक नहीं कहा जा सकता, विशेषकर तब जब यह राशि दो अवयस्क स्कूल जाने वाले बच्चों सहित तीन आश्रितों के जीवन-यापन के लिए आवश्यक है।

42. उक्त भरण-पोषण धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन संस्थित करने की तिथि, अर्थात् 02.02.2021 से देय होगा। उक्त मासिक भरण-पोषण का भुगतान विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख तक किया जाएगा।

43. 02.02.2021 से इस निर्णय की तिथि तक बकाए की गणना आक्षेपित आदेश के तहत या किसी अन्य कार्यवाही के तहत पुनरीक्षणकर्तागण को पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि का समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी। शेष बकाए का भुगतान विपक्षी द्वारा इस न्यायालय द्वारा निश्चित किए गए मासिक भरण-पोषण के साथ बारह समान मासिक किस्तों में किया जाएगा।

44. पुनरीक्षण तदनुसार स्वीकार किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

45. यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि विपक्षी संख्या 2 इसमें निर्देशित अनुसार भरण-पोषण की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम करता है, तो पुनरीक्षणकर्तागण इस आदेश के प्रवर्तन के लिए तथा कानून के अनुसार विपक्षी संख्या 2 की पेंशन और अन्य विधिक प्राप्य राशियों से भरण-पोषण की राशि की कटौती एवं वसूली की मांग करने हेतु सक्षम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी स्थिति में, संबंधित न्यायालय ऐसे आवेदन पर शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

17 जून, 2026

सचिन मिश्रा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।